

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

क्रमांक / उखपी / कोर्ट / 2020 / 26

दिनांक :- 13/7/20

—: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तो के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार पीसांगन द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीसांगन उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रिकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- जसवन्तपुरा

तहसील :- पीसांगन

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन (रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार पीसांगन के पत्रांक सं. मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा (बीघा)	किस्म जमीन
1	2020/0098	3736/10.07.2020	जसवन्तपुरा	1449	0.40	गै.मु.रास्ता	1449	0.40	गै.मु.सडक
2				1461	0.08	गै.मु.रास्ता	1461	0.08	गै.मु.सडक
3				1474	0.25	गै.मु.रास्ता	1474	0.25	गै.मु.सडक
4				1477	0.25	गै.मु.रास्ता	1477	0.25	गै.मु.सडक
5				1485	0.08	गै.मु.रास्ता	1485	0.08	गै.मु.सडक
6				1486	0.58	गै.मु.रास्ता	1486	0.58	गै.मु.सडक

नोट :- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेगे।

(सिमंदर सिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
पदेन पीसांगन कलक्टर
पीसांगन

